

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2024—पौष 6, शक 1946

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2024

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-12-1-रा.स.-यू.ए.-5-2021-1476.—इस सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 6 नवम्बर 2024 के द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 की धारा 25(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कुलाधिपतिजी ने उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) की कण्डिका (तीन), (चार), (पाँच) एवं (छः) में विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड में नामांकन किये गये थे. उक्त नामांकन में अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) की कण्डिका (पाँच) में श्रीमती मयंका गुप्ता के स्थान पर श्रीमती मयंका गौतम पढ़ा जाए.

कुलाधिपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
उमाशंकर भार्गव, राज्यपाल के अपर सचिव.